संख्या-1491/52-2-14-(57)/2014

प्रेष्क

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी
पीलीभीत।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर 2014

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित धनराशि की प्रथम किश्त को अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1839/अ0स0क0/कब्रिस्तान/2014 दिनांक 30-09-2014 के क्रम में शासनादेश संख्या-1020/52-2-2012-2(69)/07टी0सी0-।।। दिनांक 10-09-2012 संख्या-519/52-2-2013-2(69)/07-टी.सी.-3ए दिनांक 22-03-2013 एवं शासनादेश संख्या-450/52-2-2014-2(254)/2013 दिनांक 25-03-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1378/52-2-2014-2(57)/14 दिनांक 16 अक्टूबर 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए जनपद पीलीभीत हेतु आवंटित धनराशि रू0 292.220 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त 50 प्रतिशत धनराशि रु0 146.26 लाख मात्र (रुपया एक करोड़ छियालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी पी.एल.ए. में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय /अवशेष धनराशि से कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर पर स्वतन्त्र रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित कर लेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-1491(1)/52-2-14-(57)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक सी. एण्ड डी.एस. उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पीलीभीत।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in